बिल का सारांश

मॉडल एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) बिल

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने नवंबर 2016 में मॉडल एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर बिल जारी किया। यह मॉडल बिल केंद्र द्वारा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की वसूली का प्रावधान करता है।
- **आईजीएसटी की वसूली:** केंद्र निम्नलिखित स्थितियों में आईजीएसटी की वसूली करेगा (i) वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति, (ii) आयात एवं निर्यात और (iii) विशेष आर्थिक जोन्स (सेज) को होने वाली और वहां से होने वाली आपूर्तियां। आपूर्तियों में बिक्री, हस्तांतरण, एक्सचेंज और व्यवसाय को विस्तार देने के विचार से तैयार की गई लीज शामिल है। इसके अतिरिक्त आईजीएसटी ऐसी किसी भी आपूर्ति पर वसूली जाएगी जो केंद्रीय और राज्य जीएसटी एक्ट्स के दायरे में नहीं आएगी।
- **टैक्स की दरें**: जीएसटी परिषद की सलाह से आईजीएसटी की टैक्स दरों निर्धारित की जाएंगी जोकि 28% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **आईजीएसटी से छूट**: केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) में केंद्र द्वारा दी गई छूट आईजीएसटी एक्ट पर भी लागू होगी। इस छूट के विषय पर जीसएटी परिषद सुझाव देगी।
- **आईजीएसटी राजस्व का बंटवारा**: आईजीएसटी राजस्व को केंद्र और उस राज्य के बीच बांटा जाएगा, जहां से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की शुरुआत होगी। एकत्र किए गए राजस्व को सीजीएसटी एक्ट में निर्धारित दर पर केंद्रीय खाते में जमा किया जाएगा। बाकी की राशि को राज्य खाते में जमा किया जाएगा।
- **आपूर्ति का स्थान:** मॉडल बिल उन प्रावधानों को प्रस्तावित करता है जिसके आधार पर वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति के स्थान (राज्य) को निर्धारित किया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के लिए ये प्रावधान भिन्न होंगे।
- **वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान:** अगर किसी वस्तु को आपूर्ति के लिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो उसकी आपूर्ति का स्थान उसका गंतव्य स्थान होगा। अन्य मामलों में आपूर्ति का स्थान वह स्थान माना जाएगा, जहां प्राप्तकर्ता ने उस वस्तु को प्राप्त किया है।
- **सेवाओं की आपूर्ति का स्थान:** मॉडल बिल में आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। हालांकि ये प्रावधान विशिष्ट सेवाओं के संबंध में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अचल संपत्ति से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति (जैसे आर्किटेक्ट का किसी इमारत का डिजाइन बनाना) का स्थान वह स्थान होगा, जहां वह संपत्ति स्थित है। ऐसे विशिष्ट सेवा प्रावधान कुछ अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए भी किए गए हैं जैसे केटरिंग सेवाएं, खेल संबंधी आयोजन, वस्तुओं की ढुलाई से जुड़ी सेवाएं, दूरसंचार इत्यादि।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट**: प्रत्येक टैक्सपेयर आउटपुट पर टैक्स चुकाते समय इनपुट पर चुकाए गए टैक्स के बराबर क्रेडिट ले सकता है। एक्ट के तहत जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का प्रयोग क्रमशः निम्नलिखित के तहत टैक्स चुकाने के लिए किया जा सकता है: (i) आईजीएसटी, (ii) सीजीएसटी, और (iii) राज्य जीएसटी।

अरविंद गायम
aravind@prsindia.org

1 दिसंबर, 2016

- **सीजीएसटी के प्रावधान का कार्यान्वयनः** सीजीएसटी एक्ट के पंजीकरण, मूल्यांकन, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति का समय, रिटर्न, रिफंड, अभियोग, अपील के प्रावधान आईजीएसटी एक्ट के तहत भी लागू होंगे।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (□पीआरएस□) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।